फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्रीमती सुनीता कॅवर पत्नि श्री दलपत सिंह जी निवासी ग्राम व पो0 लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द **— अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ **— प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 09/2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :– सूकाअ/01/2026/12 दिनांक 24.02.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्रीमती सुनीता कंवर पत्नि श्री दलपत सिंह निवासी ग्राम व पो0 लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा आवेदन उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ के पत्रांक आर.टी.आई/41/2025/701 दिनांक 26.12.2025 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6(3)(I)(I) के तहत अन्तरित होकर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आवेदन में बिन्दु संख्या 3 एवं 4 कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत विकास अधिकारी देवगढ़ को कार्यालय के पत्रांक सूकाअ/01/2026/04 दिनांक 06.01.2026 द्वारा अन्तरित कर दिया गया। आवेदन में बिन्दु संख्या 1 एवं 2 की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सूकाअ/01/2026/07 दिनांक 28.01.2026 द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 एवं 02 की सूचना के संबंध में जरिये पत्रांक सूकाअ/01/2026/07 दिनांक 28.01.2026 से वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया। एवं बिन्दु संख्या 03 तथा 04 की सूचना का संबंध कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत विकास अधिकारी देवगढ़ को कार्यालय के पत्रांक सूकाअ/01/2026/04 दिनांक 06.01.2026 द्वारा अन्तरित कर दिया गया। उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 एवं बिन्दु	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 02 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक सूकाअ/01/2026/07 दिनांक 28.01.2026 से अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने एवं बिन्दु संख्या 03 एवं 04 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र जरिये पत्रांक सूकाअ/01/2026/04 दिनांक 06.01.2026 द्वारा विकास अधिकारी देवगढ़ को अन्तरण कर दिये जाने से, बिन्दु संख्या 03 एवं 04 की सूचना के संबंध में प्रथम अपील का क्षैत्राधिकार इस कार्यालय का नहीं होने से उक्त अपील को निर्णित किया जाकर अपीलार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 03 एवं 04 की सूचना के हेतु संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद